झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हो, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा, यथा :–

(क) खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से – 40 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से – 60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की सीमाएँ निम्न प्रकार होंगी :–

(क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति – 26 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) – 08 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – 06 प्रतिशत
(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत

कुल 60 प्रतिशत

7. नामांकन में आरक्षण का विनियमन–

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय–समय पर संशोधित आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :-

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-02/2019 का0- 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–02/2019 का०– 1434 /राँची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–02/2019 का०– 1434 /राँची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-: संकल्प :- 2020

राँची, दिनांक 9 अप्रैल, 2010

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।

राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 6704, दिनांक 10.12.2003 से जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिन्दु का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया था।

2. विभागीय संकल्प संख्या-5182, दिनांक 25.08.2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण को विभाजित करते हुए राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़े वर्ग (अनुसूची-2) की जातियों को क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत अलग-अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने संबंधी संकल्प लिये जाने तथा राँची एवं हजारीबाग जिलों से पुनर्गठित जिलों यथा राँची, खूँटी, हजारीबाग एवं रामगढ़ के अस्तित्व में आने के कारण, विभागीय संकल्प संख्या-6704, दिनांक 10.12.2003 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी।

विभागीय संकल्प संख्या-1072, दिनांक 17.02.2009 के द्वारा राज्य स्तरीय पदों के लिए 50 बिन्दुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर परिचालित किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु गठित आदर्श रोस्टर के आधार पर जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

3. इसके साथ ही पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-6704, दिनांक 10.12.2003 को अवक्रमित किया जाता है।

4. यह संकल्प तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

Aditya 9/4/2010

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

...direct appointment (I.R.S.)

ज्ञापांक–7/आ०(विधानसभा)–33/2002 का०–2020/ राँची, दिनांक–7 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ०(विधानसभा)–33/2002 का०–2020/ राँची, दिनांक–7 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय पुस्तकालय स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- गोड्डा

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति -08 % अनुसूचित जनजाति- 25 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 10 % पिछड़ा वर्ग - 07 %

(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)

कुल - 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अत्य०/पिछड़ा
4	अत्य०/पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०ज०जा०
10	पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अत्य०/पिछड़ा
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	अ०ज०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	पिछड़ा
16	अ०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अत्य०/पिछड़ा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अत्य०/पिछड़ा
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०जा०
24	पिछड़ा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०ज०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अत्य०पिछड़ा
54	पिछड़ा	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अत्य०पिछड़ा	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	पिछड़ा
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य०पिछड़ा
66	अ०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	पिछड़ा
68	पिछड़ा	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अत्य०पिछड़ा	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अत्य०पिछड़ा

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पिछड़ा – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पिछड़ा – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिले का नाम — [illegible], चतरा

आरक्षण प्रतिशत — अनुसूचित जाति – 10 % अनुसूचित जनजाति – 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 10 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	पिछड़ा
2	अत्य०/पिछड़ा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०जा०
4	अ०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्य०/पिछड़ा
6	पिछड़ा	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०जा०
10	अ०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	पिछड़ा
12	अत्य०/पिछड़ा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अत्य०/पिछड़ा
14	पिछड़ा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	पिछड़ा
18	अ०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०जा०
20	अत्य०/पिछड़ा	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अत्य०/पिछड़ा
22	अ०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अत्य०/पिछड़ा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य०पि०व०
52	पिछड़ा	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०जा०
54	अ०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पिछड़ा
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अत्य०पि०व०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अत्य०पि०व०
62	अत्य०पि०व०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०जा०
64	पिछड़ा	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य०पि०व०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०जा०
68	अ०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अत्य०पि०व०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०जा०
72	अ०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	पिछड़ा
74	पिछड़ा	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अत्य०पि०व०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय पुष्टक्रमिक स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– लातेहार

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –21 % अनुसूचित जनजाति– 29 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
34	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०ज०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०जा०
54	अ०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	अ०ज०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०जा०
64	अ०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०जा०
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— हजारीबाग

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति –21 % अनुसूचित जनजाति– 04 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 11 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्य०पिछड़ा
2	अत्य०पिछड़ा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०जा०
4	अ०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	पिछड़ा
6	पिछड़ा	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्य०पिछड़ा
8	अत्य०पिछड़ा	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०जा०
10	पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	पिछड़ा
12	अत्य०पिछड़ा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०जा०
14	अ०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य०पिछड़ा
16	अत्य०पिछड़ा	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०जा०
18	अ०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अत्य०पिछड़ा
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०जा०
22	पिछड़ा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य०पि०व०
52	पि०व०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०जा०
54	अ०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पि०व०
56	अत्य०पि०व०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अत्य०पि०व०
58	अ०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	पि०व०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	पि०व०
62	अ०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०जा०
64	अ०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य०पि०व०
66	अत्य०पि०व०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	पि०व०
68	अ०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अत्य०पि०व०
72	पि०व०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०जा०
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय पुस्तकालय स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- धनबाद

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –15 % अनुसूचित जनजाति– 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 15 % पिछड़ा वर्ग – 12 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्य0पिछड़ा
2	अत्य0पिछड़ा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्य0पिछड़ा
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पिछड़ा
10	अत्य0पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अत्य0पिछड़ा
12	अ0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	पिछड़ा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	पिछड़ा
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अत्य0पिछड़ा
18	अत्य0पिछड़ा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0जा0
20	अ0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	पिछड़ा
22	पिछड़ा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अत्य0पिछड़ा

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य०पि०व०
52	अ०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०जा०
54	पि०व०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पि०व०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अत्य०पि०व०
60	अत्य०पि०व०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०जा०
62	अत्य०पि०व०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	पि०व०
64	पि०व०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०जा०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अत्य०पि०व०
68	अ०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्य०पि०व०
70	अत्य०पि०व०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०जा०
74	पि०व०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	पि०व०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– गिरिडीह, बोकारो

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –13 % अनुसूचित जनजाति– 12 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 11 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्यन्त पिछड़ा
2	अत्यन्त पिछड़ा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	पिछड़ा
4	पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्यन्त पिछड़ा
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पिछड़ा
10	अत्यन्त पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	पिछड़ा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०जा०
14	अ०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्यन्त पिछड़ा
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अत्यन्त पिछड़ा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	पिछड़ा
20	अ०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्यन्त पिछड़ा
24	अ०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०जा०

संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	पि०व०
52	अत्य०पि०व०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अत्य०पि०व०
54	पि०व०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अत्य०पि०व०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	पि०व०
60	अत्य०पि०व०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	पि०व०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०जा०
64	अ०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य०पि०व०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	पि०व०
68	अत्य०पि०व०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्य०पि०व०
70	अ०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	पि०व०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय [illegible] स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– पाकुड़

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति – 23 % अनुसूचित जनजाति – 15 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 07 % पिछड़ा वर्ग – 05 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०जा०
2	अ०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	पिछड़ा
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०जा०
8	अत्य०/पिछड़ा	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०जा०
10	अ०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अत्य०/पिछड़ा
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	पिछड़ा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०जा०
16	अ०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०जा०
18	अ०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अत्य०/पिछड़ा
22	अत्य०/पिछड़ा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०जा०
24	अ०ज०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०जा०

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पिछड़ा
56	पिछड़ा	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अत्यं०पिछड़ा	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अत्यं०पिछड़ा
64	अ०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अत्यं०पिछड़ा	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	पिछड़ा
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्यं०पिछड़ा – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पिछड़ा – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- पलामू

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –27 % अनुसूचित जनजाति– 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 09 % पिछड़ा वर्ग – 06 %
(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0जा0
2	अ0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अत्यन्त पिछड़ा
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0जा0
6	अत्यन्त पिछड़ा	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	अ0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	पिछड़ा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अत्यन्त पिछड़ा
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	पिछड़ा
20	अत्यन्त पिछड़ा	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	पिछड़ा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०जा०
52	अत्यपिछड़ा	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अत्यपिछड़ा
54	अ०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	पिछड़ा	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अत्यपिछड़ा
62	अ०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०जा०
64	अ०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	पिछड़ा
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०जा०
68	अत्यपिछड़ा	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अ०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	पिछड़ा	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अत्यपिछड़ा
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्यपिछड़ा – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पिछड़ा – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुख्यालय स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- पाकुड़

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –09 % अनुसूचित जनजाति– 32 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –05 % पिछड़ा वर्ग – 04 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०ज०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्यन्त पिछड़ा
6	अ०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अत्यन्त पिछड़ा	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०ज०जा०
10	अ०ज०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०जा०
14	पिछड़ा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०ज०जा०
16	अ०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	पिछड़ा
18	अ०ज०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०ज०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य०पिछड़ा
52	अत्य०पिछड़ा	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०जा०
60	अ०ज०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	पिछड़ा
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	पिछड़ा	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अत्य०पिछड़ा
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पिछ० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पिछ० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– देवघर

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –12 % अनुसूचित जनजाति–12 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 15 % पिछड़ा वर्ग – 11 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	पिछड़ा
2	अत्य0पिछड़ा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्य0पिछड़ा
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पिछड़ा
10	अत्य0पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	अ0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य0पिछड़ा
16	पिछड़ा	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	पिछड़ा
18	अत्य0पिछड़ा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0जा0
20	अ0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्य0पिछड़ा
24	अत्य0पिछड़ा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अत्य0पिछड़ा

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

[redacted]

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य०पिछड़ा
52	पिछड़ा	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०जा०
54	अत्य०पिछड़ा	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	पिछड़ा
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अत्य०पिछड़ा
60	पिछड़ा	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०जा०
62	अ०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	पिछड़ा
66	अत्य०पिछड़ा	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अत्य०पिछड़ा
68	पिछड़ा	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अ०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	पिछड़ा
74	अत्य०पिछड़ा	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अत्य०पिछड़ा

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- खूंटी

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति -04 % अनुसूचित जनजाति-46 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०जा०
74	अ०ज०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

नोट : अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अ०जा० – अनुसूचित जाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- पूर्वी सिंहभूम

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –04 % अनुसूचित जनजाति– 28 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 10 % पिछड़ा वर्ग – 08 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अत्य०पिछड़ा
4	अत्य०पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पिछड़ा
10	पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	अ०ज०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य०पिछड़ा
16	अत्य०पिछड़ा	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अ०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	पिछड़ा
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०जा०
22	पिछड़ा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०ज०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अत्य०पिछड़ा

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

[redacted]

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	पि0व0
54	पि0व0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अत्य0पि0व0
60	अत्य0पि0व0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	पि0व0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	पि0व0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अत्य0पि0व0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अत्य0पि0व0
72	अत्य0पि0व0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर – अ0जा0 – अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पि0व0 – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- रांची

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –05 % अनुसूचित जनजाति–37 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 06 % पिछड़ा वर्ग – 03 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा
2	अ0ज0जा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा
4	अ0ज0जा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा
6	अत्य0पिछड़ा	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	पिछड़ा
8	अ0ज0जा	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा
10	अ0ज0जा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा
12	अ0ज0जा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा
14	अ0जा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा
16	अत्य0पिछड़ा	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा
18	अ0ज0जा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा
20	अ0ज0जा	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा
22	अ0ज0जा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्य0पिछड़ा
24	अ0ज0जा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	पि0व0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	पि0व0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0पि0व0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0पि0व0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर – अ0जा0 – अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति

अ0पि0व0 – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– दुमका

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –05 % अनुसूचित जनजाति– 45 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 00 % पिछड़ा वर्ग –00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०ज०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०ज०जा०
10	अ०ज०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	अ०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०ज०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अ०ज०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०ज०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०ज०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०जा०
74	अ०ज०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला-खरसावां

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति -05 % अनुसूचित जनजाति- 38 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 04 % पिछड़ा वर्ग – 03 %
(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०ज०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०जा०
10	अत्य०पिछड़ा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अत्य०पिछड़ा
14	अ०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०ज०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अ०ज०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	पिछड़ा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०ज०जा०
52	पिछड़ा	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पिछड़ा
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अ०ज०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अत्य०पिछड़ा	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्य०पिछड़ा
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अ०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्य०पिछ० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)

पिछ० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

182

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय पृथक्कारित स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- लोहरदग्गा, गुमला

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –03 %   अनुसूचित जनजाति– 47 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I)   (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०ज०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०ज०जा०
10	अ०ज०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	अ०ज०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०ज०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अ०ज०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०ज०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०ज०जा०
52	अ०ज०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०ज०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अ०ज०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०ज०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०ज०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अ०ज०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर — अ०जा० — अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० — अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- सिमडेगा

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति –07 % अनुसूचित जनजाति– 43 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ०ज०जा०
2	अ०ज०जा०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०ज०जा०
4	अ०ज०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०ज०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०ज०जा०
10	अ०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०ज०जा०
12	अ०ज०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०जा०
14	अ०ज०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०ज०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ०ज०जा०
18	अ०ज०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०ज०जा०
20	अ०ज०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०ज०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	अ०जा०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०ज०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ०ज०जा०
52	अ०जा०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०जा०
56	अ०ज०जा०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ०ज०जा०
60	अ०ज०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अ०ज०जा०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ०ज०जा०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०ज०जा०
66	अ०जा०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ०जा०
70	अ०ज०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	अ०ज०जा०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ०ज०जा०
74	अ०ज०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०ज०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति -04 % अनुसूचित जनजाति- 46 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित
2	अ0ज0जा0
3	अनारक्षित
4	अ0ज0जा0
5	अनारक्षित
6	अ0ज0जा0
7	अनारक्षित
8	अ0ज0जा0
9	अनारक्षित
10	अ0ज0जा0
11	अनारक्षित
12	अ0ज0जा0
13	अनारक्षित
14	अ0ज0जा0
15	अनारक्षित
16	अ0ज0जा0
17	अनारक्षित
18	अ0जा0
19	अनारक्षित
20	अ0ज0जा0
21	अनारक्षित
22	अ0ज0जा0
23	अनारक्षित
24	अ0ज0जा0
25	अनारक्षित
26	अ0ज0जा0
27	अनारक्षित
28	अ0ज0जा0
29	अनारक्षित
30	अ0ज0जा0
31	अनारक्षित
32	अ0ज0जा0
33	अनारक्षित
34	अ0ज0जा0
35	अनारक्षित
36	अ0ज0जा0
37	अनारक्षित
38	अ0ज0जा0
39	अनारक्षित
40	अ0ज0जा0
41	अनारक्षित
42	अ0ज0जा0
43	अनारक्षित
44	अ0ज0जा0
45	अनारक्षित
46	अ0जा0
47	अनारक्षित
48	अ0ज0जा0
49	अनारक्षित

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड, राँची

50	अ0ज0जा0
51	अनारक्षित
52	अ0ज0जा0
53	अनारक्षित
54	अ0ज0जा0
55	अनारक्षित
56	अ0ज0जा0
57	अनारक्षित
58	अ0ज0जा0
59	अनारक्षित
60	अ0ज0जा0
61	अनारक्षित
62	अ0ज0जा0
63	अनारक्षित
64	अ0ज0जा0
65	अनारक्षित
66	अ0ज0जा0
67	अनारक्षित
68	अ0ज0जा0
69	अनारक्षित
70	अ0जा0
71	अनारक्षित
72	अ0ज0जा0
73	अनारक्षित
74	अ0ज0जा0
75	अनारक्षित
76	अ0ज0जा0
77	अनारक्षित
78	अ0ज0जा0
79	अनारक्षित
80	अ0ज0जा0
81	अनारक्षित
82	अ0ज0जा0
83	अनारक्षित
84	अ0ज0जा0
85	अनारक्षित
86	अ0ज0जा0
87	अनारक्षित
88	अ0ज0जा0
89	अनारक्षित
90	अ0ज0जा0
91	अनारक्षित
92	अ0ज0जा0
93	अनारक्षित
94	अ0ज0जा0
95	अनारक्षित
96	अ0ज0जा0
97	अनारक्षित
98	अ0जा0
99	अनारक्षित
100	अ0ज0जा0

संक्षेपाक्षर – अ0जा0 – अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड, राँची

<u>झारखण्ड सरकार</u>

जिला स्तरीय गृहरक्षक स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– रामगढ़

आरक्षण प्रतिशत – अनुसूचित जाति –11 % अनुसूचित जनजाति– 20 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 11 % पिछड़ा वर्ग –08 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्यन्त पिछड़ा
2	अ0ज0जा	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा
4	अत्यन्त पिछड़ा	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्यन्त पिछड़ा
6	अ0ज0जा	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0जा
8	अ0जा	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा
10	अ0ज0जा	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	पिछड़ा
12	पिछड़ा	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा
14	अ0ज0जा	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0जा
16	अ0जा	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अत्यन्त पिछड़ा
18	अत्यन्त पिछड़ा	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा
20	अ0ज0जा	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	पिछड़ा
22	पिछड़ा	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा
24	अ0जा	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा

संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्यं०पि०व०
52	अत्यं०पि०व०	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ०ज०जा०
54	अ०ज०जा०	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ०जा०
56	पि०व०	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ०ज०जा०
58	अ०ज०जा०	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	पि०व०
60	अ०जा०	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ०ज०जा०
62	अत्यं०पि०व०	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अत्यं०पि०व०
64	अ०ज०जा०	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ०जा०
66	अत्यं०पि०व०	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ०ज०जा०
68	अ०ज०जा०	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्यं०पि०व०
70	अ०जा०	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ०ज०जा०
72	पि०व०	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	पि०व०
74	अ०ज०जा०	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ०जा०

संकेताक्षर – अ०जा० – अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० – अनुसूचित जनजाति

अत्यं०पि०व० – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि०व० – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची